झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

परीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...01.......... वर्ष 20..24...

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री मुस्कान गोप
ग्रा०- अमकुली, पो०+ पं०- ओलमुण्डा
थाना- सिसई, जिला - गुमला

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा० गुमला

वाद प्रारम्भ की तिथि
दि० - 09/01/2024

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	DISPOSED 28/02/2024.	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–01 / 2024 परिवादी श्री मुस्कान गोप, ग्राम–आमकुली, पो0+पं0–ओलमुण्डा, थाना–सिसई, जिला–गुमला का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–20.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी का आरोप है कि उनके द्वारा राशन नहीं मिलने संबंधी पूर्व में की गई शिकायत की निस्पक्ष जांच नहीं हुई है एवं मामले को दबाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक–04.11.2023 को व्हाटसएप्प के माध्यम से शिकायत सं0–WA/889/2023 दर्ज कराई गई थी। परिवादी द्वारा शिकायत किया गया था कि डीलर द्वारा लाभुकों को कम अनाज दिया जाता है। यह भी कि माह अगस्त, 2023 में सभी कार्डधारकों से अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दिया गया। अंगूठा लगाने से मना करने पर डीलर द्वारा कार्ड रद्द करने की धमकी दी गई। प्रस्तुत मामले के संबंध में कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक–1063 दिनांक–02.12.2023 द्वारा उक्त से संबंधित जांच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया जिसे शिकायतकर्ता को सूचनार्थ भेज दी गई थी। उक्त के क्रम में शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक–01.01.2024 के माध्यम से सूचित किया गया कि उक्त मामले की निस्पक्ष जांच नहीं हुई है। यह भी कि उनके पास इससे संबंधित साक्ष्य भी है। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–30.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx168	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–01/2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री मुस्कान गोप, ग्राम–आमकुली, पो0+पं0–ओलमुण्डा, थाना–सिसई, जिला–गुमला अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री सुशिल कंडिर, पणन पदाधिकारी, गुमला उपस्थित। सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि आयोग में उपस्थित होकर अपना विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित कर रहें हैं। प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता के आवेदन के बाद शिकायतकर्ता की शिकायतें दूर कर दी गईं हैं। इस आशय का प्रमाण आयोग को भेजा गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्ता को भेजने का निर्देश देता है। आयोग शिकायतकर्ता को निदेश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध यदि अपना पक्ष रखना हो तो आयोग के समक्ष रख सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–01 / 2024	
28.02.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री मुस्कान गोप, ग्राम–आमकुली, पो+पंचायत–ओलमुण्डा, थाना–सिसई, जिला–गुमला अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को हुई थी। जिसमें आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा समर्पित प्रतिवेदन शिकायतकर्ता को वाट्सएप्प के माध्यम से भेजा था और शिकायतकर्ता से जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता को वाट्सएप्प के माध्यम से भेजा गया प्रतिवेदन प्राप्त हो गया, यह वाट्सएप्प का स्टेटस बता रहा है। ऐसे में शिकायतकर्ता का पक्ष न आना, आयोग को इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य कर रहा है कि शिकायतकर्ता को इस संदर्भ में अपना पक्ष नहीं रखना है या वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से संतुष्ट हैं। उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx155	